

दिनांक 15 व 16 अप्रैल 2015 को निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा),
उ0प्र0 की अध्यक्षता में सूडा/झूडा के माध्यम से संचालित योजनाओं की मासिक
समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

- बैठक की समीक्षा सूडा के पत्रांक—37/110/तीन/97—VI, दिनांक 08.04.2015 द्वारा निर्गत एजेण्डा के अनुसार समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारियों से योजनाओं की बिन्दुवार समीक्षा की गयी। समस्त जनपदों को निर्देशित किया गया कि योजनाओं की मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह की 05 तारीख तक प्रत्येक दशा में सूडा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- समस्त जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 के परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि एम0पी0आर0 निर्धारित एक्सेल शीट के प्रारूप पर ही सूडा द्वारा दी गयी ई—मेल आई0डी0 (nulmup@gmail.com) पर 05 तारीख तक प्रेषित कर दी जाये ताकि इसे समय से भारत सरकार को प्रेषित किया जा सके।
- समस्त जनपदों को अवगत कराया गया कि एम0पी0आर0 हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप सूडा की वेबसाइट (www.sudaup.org) पर उपलब्ध है, जिसको डाउनलोड कर प्रगति अंकित कर सूडा की उक्त ई—मेल आई0डी0 पर ई—मेल करना सुनिश्चित किया जाय।
- सूडा की वेबसाइट से एम0पी0आर0 के प्रारूप को किस तरह डाउनलोड कर मेल किया जाना है, के संबंध में सामरत जनपदों को प्रस्तुतीकरण किया गया।
- सूडा के संबंधित पटल को निर्देशित किया गया है कि योजनाओं की प्रगति से राज्य एवं भारत सरकार को निर्धारित तिथि तक संबंधित सूचना प्रेषित की जानी होती है अतः जिन जनपदों द्वारा बार—बार निर्देशित करने के उपरान्त भी समय से एम0पी0आर0 ई—मेल के द्वारा सूडा को उपलब्ध नहीं कराई तो ऐसे जनपदों के संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।
- समस्त जनपदों को निर्देशित किया गया किसी भी सूचना के ई—मेल प्रेषण में विषय जरूर अंकित किया जाय।

(कार्यवाही सूडा/समस्त झूडा)

- बैठक में जनपद कौशाम्बी, श्रावस्ती एवं हरदोई के परियोजना अधिकारी उपस्थित नहीं हुये। निर्देश दिये गये कि अनुपस्थित हुये परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी से रपष्टीकरण प्राप्त करने हेतु अधिष्ठान सूडा को पत्रावली प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही सूडा अधिष्ठान)

बी0एस0यू0पी0/आई0एच0एस0डी0पी0 योजना—

सरेण्डर के उपरान्त जनपदों से अप्राप्त संशोधित डी0पी0आर0

- आई0एच0डी0पी0/बी0एस0यू0पी0 के अंतर्गत जनपद अमेठी के निकाय मुसाफिरखाना की डी0पी0आर0 एफआईआर होने के कारण अभी तक संबंधित जनपद द्वारा नहीं प्रेषित की गयी है। जनपद को निर्देशित किया गया कि तत्काल संशोधित डी0पी0आर0 उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। जनपद गौतमबुद्ध नगर के निकाय दादरी एवं जेवर की आई0एच0एस0डी0पी0 की संशोधित डी0पी0आर0 work done/ work to be done के आधार पर पर नहीं है। जनपद को तत्काल work done/ work to be done के आधार पर डी0पी0आर0 उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

सूडा के संबंधित पटल को निर्देशित किया गया कि जिस संबंधित जनपद द्वारा उक्त निर्धारित अवधि में अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो पत्रावली में कार्यवाही प्रस्तुत की जाय।

समरत संबंधित जनपदों को निर्देशित किया गया कि जिन जनपदों द्वारा मकानों के आवंटन की कार्यवाही अभी प्रारम्भ नहीं की गयी, तत्काल मकान के आवंटन की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें एवं आगामी मासिक समीक्षा बैठक में आवंटन के संबंध में पूर्ण विवरण लेकर उपस्थित हों। जनपदों को यह भी निर्देशित किया गया कि कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व व कार्य समाप्ति होने के फोटोग्राफ संबंधित पत्रावली में अवश्य संरक्षित किये जायें।

(कार्यवाही सूडा/ संबंधित छूडा/ कार्यदायी संस्था)

- समरत संबंधित जनपदों को निर्देशित किया गया कि बी०एस०य०पी०/आई०एच०एस०डी०पी० योजना-न्तर्गत 50 बन्दुओं पर एम०पी०आर० भेजे जाने के संबंध में योजना से आच्छादित समस्त जनपदों के परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अगले माह से प्रत्येक दशा में गाह की 05 तारीख तक एम०पी०आर० उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित पटल आख्या प्रेषित न करने वाले जनपदों का विवरण पत्रावली पर प्रस्तुत करें।
- सूडा के संबंधित पटल को यह भी निर्देशित किया गया कि आगामी समीक्षा बैठक से समस्त कार्यदायी संस्था यथा— सी एण्ड डी०एस०, य०पी०पी०सी०एल०, य०पी०आर०एन०एन० एवं य०पी०एस०के०एन०एन० को उपस्थित होने हेतु निर्देशित भी किया जाय।
- संबंधित जनपदों के परियोजना अधिकारी/सहा० परियोजना अधिकारी को यह भी निर्देशित किया गया कि बी०एस०य०पी०/आई०एच०एस०डी०पी० योजना के अन्तर्गत निर्मित होने वाले आवासों एवं अवस्थापना कार्यों की गुणवत्ता व आवास आवंटन के संबंध में प्रत्येक माह परियोजना रथल का निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या प्रत्येक माह की 07 तारीख तक ई-मेल के माध्यम से सूडा को प्रेषित किये जाने हेतु पूर्व बैठक में निर्देशित किया गया था कि न्तु रायबरेली, अलीगढ़, फैजाबाद एवं मुरादाबाद जनपदों को छोड़कर किसी भी जनपद द्वारा निरीक्षण आख्या प्रेषित नहीं की गयी है, जो अत्यन्त ही असंतोषजनक है। समस्त संबंधित जनपदों को निर्देशित किया गया कि उक्त का कड़ाई अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा निरीक्षण आख्या प्रत्येक दशा में सूडा की ई-मेल आई०डी० एवं अपर निदेशक तथा संयुक्त निदेशक, सूडा की ई-मेल आई०डी० पर भेज किया जाना सुनिश्चित किया जाय। सूडा के संबंधित पटल को निर्देशित किया गया कि जिन जनपदों द्वारा निरीक्षण आख्या उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो ऐसे जनपदों के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तुत की जाय।

(कार्यवाही सूडा/ संबंधित छूडा)

राजीव आवास योजना

राजीव आवास योजना की परियोजनावार प्रगति की समीक्षा की गयी। बैठक में उपस्थित कार्यदायी संस्था सी० एण्ड डी०एस० के प्रतिनिधि को स्वीकृत परियोजनाओं के अंतर्गत तत्काल उनके द्वारा निर्धारित की गई समय सारिणी/वर्क प्लान के अनुसार कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। संबंधित जनपदों एवं कार्यदायी संस्था को कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये गये। जनपदों को यह भी निर्देशित किया गया कि कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व व कार्य समाप्ति होने के फोटोग्राफ संबंधित पत्रावली में अवश्य संरक्षित किये जायें। कार्यदायी संस्था को यह भी निर्देशित किया गया कि भारत सरकार द्वारा राबके लिए आवास हेतु कार्यवाही की जा रही है अतः राजीव आवास योजना की रवीकृत परियोजनाओं को युद्ध स्तर पर पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

- भारत सरकार स्तर पर 2022 तक "सबके लिए आवास" नया मिशन जारी किया जाना प्रक्रिया में है जिसके परिप्रेक्ष्य में योजनान्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के सापेक्ष द्वितीय किस्त भारत सरकार से प्राप्त होने की स्थिति स्पष्ट नहीं है। उक्त वस्तुस्थिति के आलोक में समस्त संबंधित जनपदों के परियोजना अधिकारी/सहायी परियोजना अधिकारी एवं सी0 एण्ड डी0एस0 के उपस्थित प्रतिनिधि को यह भी निर्देशित किया गया कि योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रथम किस्त के रूप में उपलब्ध करायी गयी धनराशि एवं तत्सापेक्ष उपलब्ध कराया गया राज्यांश के अनुसार जो धनराशि जनपदों को उपलब्ध करायी गयी है, उतनी धनराशि के समानुपातिक आवास एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर का कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- समस्त संबंधित जनपदों के परियोजना अधिकारी/सहायी परियोजना अधिकारी को यह भी निर्देशित किया गया कि योजना के अन्तर्गत निर्मित होने वाले आवासों एवं अवरथापना कार्यों की गुणवत्ता व आवारा आवंटन के रांबंध में प्रत्येक गाह परियोजना रथल का निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या प्रत्येक माह की 07 तारीख तक ई-मेल के माध्यम से सूडा को प्रेषित किये जाने हेतु पूर्व बैठक में निर्देशित किया गया था मुजफ्फरनगर द्वारा अभी तक निरीक्षण आख्या प्रेषित नहीं की गयी है। समस्त संबंधित जनपदों को निर्देशित किया गया कि उक्त का कड़ाई अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा निरीक्षण आख्या प्रत्येक दशा में सूडा की ई-मेल आई0डी0 एवं अपर द्विदेशक तथा संयुक्त निदेशक, सूडा की ई-मेल आई0डी0 पर मेल किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि कार्यों में विलम्ब के कारण किसी भी प्रकार की मूल्यवृद्धि देय नहीं होगी।

(कार्यवाही—सूडा/संबंधित छूडा/कार्यदायी संस्था)

- कार्यदायी संस्था को यह भी निर्देशित किया गया कि डी0पी0आर0 में यह सुनिश्चित किया जाये कि जो कार्य योजनान्तर्गत लिये जायें, की पुनर्नवृत्ति किसी अन्य योजनाओं में न हो।
(कार्यवाही –सूडा/संबंधित छूडा/कार्यदायी संस्था)

अफोडेबिल हाउसिंग

- योजना के संदर्भ में यह सूचित किया गया कि भारत सरकार द्वारा 2022 तक "सब के लिए आवास" लान्च किया जाना प्रक्रिया में है। उक्त मिशन के लान्च होने तक भारत सरकार द्वारा राजीव आवास योजना/अफोडेबिल हाउसिंग के अंतर्गत नई डी0पी0आर0 तैयार करना स्थगित करने के निर्देश दिये गये हैं।

(कार्यवाही समस्त संबंधित छूडा)

आसरा योजना

- योजना की समीक्षा में इसकी प्रगति पर असंतोष प्रकट किया गया, अद्यतन कुल स्वीकृत 18033 आवासों के सापेक्ष मात्र 2930 आवास ही पूर्ण है (जिन पर कुछ कार्य किया जाना शेष है) इस प्रकार स्वीकृत आवासों के सापेक्ष पूर्ण आवासों का प्रतिशत मात्र 16.25 प्रतिशत है। योजना के अंतर्गत लगभग 10869 आवासों हेतु अभी कार्य प्रारम्भ किया जाना है। प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुय बैठक में उपरिथित कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया तत्काल कार्य प्रारम्भ कराते हुये अपेक्षित प्रगति लाना सुनिश्चित किया जाय एवं कार्यों में विलम्ब के लिए किसी भी प्रकार की मूल्यवृद्धि देय नहीं होगी।
- कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि आवासों का निर्माण ब्लाकवार पूर्ण किया जाय तथा पात्र लाभार्थियों को आवंटन भी किया जाये जिससे वे स्वयं भी निर्माण की गुणवत्ता के समय—समय पर आकलन कर सकें।

- आसरा योजनान्तर्गत निःशुल्क भूमि न उपलब्ध होने के कारण इन-सीटू आवास निर्माण हेतु शासनादेश संख्या—1833/69-1-14-14(31)/2012टीसी(सी), दिनांक 09.09.2014 निर्गत किया जा चुका है। उक्त संबंध में जनपदों के द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा इन-सीटू आवासों की परियोजनाएँ तैयार करने हेतु सी० एण्ड डी०एस० को सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है, इस संबंध में जनपद अलीगढ़, इलाहाबाद, कौशाम्बी, फरुखाबाद, गोरखपुर, देवरिया, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, जालौन, गोण्डा, बहराइच, अम्बेडकर नगर, फैजाबाद, बाराबंकी, सुल्तानपुर, बरेली, विजनौर, मुरादाबाद, बुलन्दशहर, उन्नाव, लखीमपुर-खीरी, रायबरेली, लखनऊ, अगोटी, जौनपुर, मिजोपुर, मुजफ्फरनगर एवं शामली द्वारा अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत इन-सीटू आवासों के निर्माण हेतु काफी समय पूर्व में कार्यदायी संस्था को पात्र लाभार्थियों की सूची उपलब्ध करायी जा चुकी है एवं इस संबंध में गत बैठक में भी अवगत कराया गया था। किन्तु कार्यदायी संस्था द्वारा अभी तक डी०पी०आर० उपलब्ध नहीं करायी गयी है। डी०पी०आर० उपलब्ध न कराये जाने पर बैठक में असंतोष व्यक्त किया गया तथा कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि यथाशीघ्र समस्त डी०पी०आर० उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आसरा योजनान्तर्गत निःशुल्क भूमि न उपलब्ध होने के कारण इन-सीटू आवास निर्माण हेतु शासनादेश संख्या—1833/69-1-14-14(31)/2012टीसी(सी), दिनांक 09.09.2014 निर्गत किया जा चुका है। इस शासनादेश के बिन्दु संख्या—3 में निर्देश दिये गये हैं कि योजना के मूल उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा यथा आवश्यकता अवस्थापना कार्य हेतु प्रति आवास लागत की 25 प्रतिशत की सीमा तक की धनराशि इसी योजना के बजट से स्वीकृत की जायेगी। अतः पूर्व स्वीकृत परियोजनाओं में अवस्थापना कार्यों हेतु पुनरीक्षित प्रस्ताव शारन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराये जायेंगे। कार्यदायी संस्था सी०एण्ड डी०एस० द्वारा अभी तक पूर्व स्वीकृत परियोजनाओं के सापेक्ष अवस्थापना कार्य हेतु जनपद रामपुर को छोड़कर कोई भी डी०पी०आर० उपलब्ध न कराया जाना बैठक में राज्ञान में लाया गया। कार्यदायी संस्था के उपरिथित प्रतिनिधि से असंतोष व्यक्त करते हुये निर्देशित किया गया कि यथाशीघ्र अवस्थापना कार्यों की डी०पी०आर० उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

- बैठक में विभिन्न जनपदों की आसरा योजनान्तर्गत प्रगति की समीक्षा की गयी एवं प्रगति पर कार्यदायी संस्था से असंतोष व्यक्त किया गया। समस्त संबंधित जनपदों को निर्देशित किया गया कि योजनान्तर्गत निर्माण की प्रगति के समस्त परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि योजनान्तर्गत समस्त परियोजना में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व की तथा कार्य समाप्ति की फोटोग्राफ पत्रावली में संलग्न करें तथा इसे सूडा को भी प्रेषित करें।
- समस्त जनपदों/कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि डी०पी०आर० प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि डी०पी०आर० में इस आशय का प्रामाण-पत्र अवश्य संलग्न हो कि परियोजना में मानकीकृत मात्रा एवं मानचित्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जनपदों/कार्यदायी संस्था को यह भी निर्देशित किया गया कि परियोजना को निदेशक, कार्यदायी संस्था के हस्ताक्षर के उपरान्त ही सूडा को प्रेषित की जाय अन्यथा डी०पी०आर० अपूर्ण मानी जायेगी एवं इसके लिए संबंधित जनपद/कार्यदायी संस्था जिम्मेदार होगी।
- इन-सीटू परियोजना के अंतर्गत इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय कि परियोजना सम्पूर्ण बस्ती को लेकर तैयार की गयी है। इन-सीटू परियोजना के अंतर्गत मकानों के निर्माण करने से पूर्व लाभार्थी से भू-स्वामित्व का प्रासंगिक प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय तथा राजस्व अधिकारियों से भी समय-समय पर सत्यापन कराया जाय, तदोपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।
- समस्त संबंधित जनपदों को निर्देशित किया गया कि जिन जनपदों द्वारा मकानों के आवंटन की कार्यवाही अभी प्रारम्भ नहीं की गयी, तत्काल मकान के आवंटन की

कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें एवं आगामी मासिक समीक्षा बैठक में आवंटन के संबंध में पूर्ण विवरण लेकर उपस्थित हों।

(संबंधित छूड़ा / कार्यदायी संस्था)

- समस्त संबंधित जनपदों के परियोजना अधिकारी/सहायी परियोजना अधिकारी को यह भी निर्देशित किया गया कि योजना के अन्तर्गत निर्मित होने वाले आवासों एवं अवस्थापन कार्यों की गुणवत्ता व आवास आवंटन के संबंध में प्रत्येक माह परियोजना स्थल का निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या प्रत्येक माह की 07 तारीख तक ई-मेल के माध्यम से सूड़ा को प्रेषित किये जाने हेतु पूर्व बैठक में निर्देशित किया गया था किन्तु जनपद फैजाबाद, उन्नाव, कन्नौज तथा कानपुर नगर को छोड़कर किसी भी जनपद द्वारा निरीक्षण आख्या प्रेषित नहीं की गयी है, जो अत्यन्त ही असांतोषजनक है। समस्त संबंधित जनपदों को निर्देशित किया गया कि उक्त का कड़ाई अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा निरीक्षण आख्या प्रत्येक दशा में सूड़ा की ई-मेल आईडी एवं संयुक्त निदेशक, सूड़ा की ई-मेल आईडी पर भेज किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(कार्यवाही संबंधित सूड़ा / छूड़ा)

- कार्यदायी संस्था को यह भी निर्देशित किया गया कि डी०पी०आर० में यह सुनिश्चित किया जाये कि जो कार्य योजनान्तर्गत लिये जायें, की पुर्णावृत्ति किसी अन्य योजनाओं में न हो। कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि कार्यों में विलम्ब के कारण किसी भी प्रकार की मूल्यवृद्धि देय नहीं होगी।

(कार्यवाही –सूड़ा/संबंधित छूड़ा/कार्यदायी संस्था)

रिक्षा योजना

- प्रदेश के पंजीकृत निजी स्वामित्व मानव चालित रिक्षा चालकों को मोटर/बैटरी चालित रिक्षा मुफ्त प्रदान किये जाने की योजना के कियान्वयन के संबंध में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-35, दिनांक 24.01.2013 में पात्रता हेतु निर्धारित कट-ऑफ-डेट दिनांक 30.04.2012 को शासनादेश संख्या-1283, दिनांक 26.06.2014 के द्वारा संशोधित करते हुए 31.03.2013 किया गया था। योजनान्तर्गत प्रदेश के अधिक से अधिक लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने के उद्देश्य से शासन द्वारा उक्त कट आफ डेट को पुनः विस्तारित करते हुए 30.11.2014 किया जा चुका है।
- नवीनतम विस्तारित कट-ऑफ-डेट (30.11.2014) की लाभार्थियों की सूची समस्त जनपदों से तत्काल प्रेषित किये जाने हेतु पूर्व में निर्देश दिये गये थे। समीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि किसी भी जनपद ने अपेक्षित सूचना प्रेषित नहीं की है। शासन की इस प्राथमिकतापरक योजना की महत्ता के दृष्टिगत समस्त परियोजना अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये गये कि प्रत्येक दशा में 15 दिन के अन्दर वांछित लाभार्थी सूची अभिकरण मुख्यालय पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- समीक्षा के दौरान जनपदों को यह भी निर्देशित किया गया कि उपलब्ध करायी जाने वाली लाभार्थियों की सूची में अनुसूचित जाति तथा अल्प संख्यकों का भी वर्गीकरण भी प्रस्तुत करें, साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि जिन जनपदों के द्वारा लाभार्थियों की सूचना शून्य सूचित है, उन्हें यह निर्देश दिये गये कि वह सक्षम स्तर के अधिकारी के स्तर से इस संबंध में औपचारिक घोषणा पत्र प्रेषित करें।
- पूर्वक्त तीनों कट आफ डेट के सापेक्ष योजना के दिशानिर्देश संबंधी शासनादेश दिनांक 24.01.2013 के अनुरूप लाभार्थी के चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रण सूचना संबंधी प्रकाशित विज्ञापन की छायाप्रति भी तत्काल प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

रिक्षा चालकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना एवं निजी रिक्षा बीमा योजना

- पूर्व वर्षों से संवालित, "रिक्षा चालकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना एवं निजी रिक्षा बीमा योजना" के अंतर्गत समीक्षा बैठक के एजेण्डा में उल्लिखित वांछित बिन्दुवत् सूचना जनपदों से अद्यतन अप्राप्त होने की स्थिति को आपत्तिजनक बताया गया। विगत मासिक समीक्षा बैठकों में दिये गये सातत निर्देश के बाद भी किसी भी जनपद से अपेक्षित जानकारी प्राप्त न होने के संबंध में निदेशक महोदय द्वारा सवेत करते हुय यह निर्देशित किया गया कि उक्त जन कल्याणकारी योजना से लाभान्वित किये जाने हेतु समस्त परियोजना अधिकारियों के द्वारा आच्छादित (पूर्व में एक मुश्त 10 वर्ष हेतु बीमित) लाभार्थियों को जानकारी प्रदान किये जाने हेतु समुचित प्रचार-प्रसार किया जाये। अपेक्षित जानकारी तत्काल मुख्यालय प्रेषित की जाय।

(कार्यवाही-सूडा/संबंधित छूडा)

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

मासिक समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त में यह निर्देशित किया गया था कि सभी जनपद के जनसूचना अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर जनपदों में प्राप्त आवेदन पत्रों पर समयानुसार आवश्यक कार्यवाही करें, अन्तरण के प्रकरणों को निर्धारित समयावधि के अन्दर सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर दें। जनपदों को यह भी निर्देशित किया गया था कि प्रत्येक माह में प्राप्त आवेदन पत्रों एवं कृत कार्यवाही का विवरण नियमित रूप से अभिकरण मुख्यालय पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। जनपदों द्वारा कोई भी सूचना प्रेषित नहीं की गयी है। अभिकरण मुख्यालय पर अनापेक्षित प्रथम अपीलों के योजित होने के परिप्रेक्ष्य में यह निर्देश दिये गये कि जनपद स्तर से यथा समय आवेदन पत्रों का निरस्तारण न किये जाने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हो रही है। अतः यह निर्देशित किया गया कि जनसूचना अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर आवेदन पत्रों का यथा समय निरस्तारण करें।

(कार्यवाही-जनसूचना अधिकारी / नोडल अधिकारी जनसूचना, सूडा)

अर्बन स्टेटिटिक्स फॉर एच एण्ड एसेसमेंट्स (USHA)

- प्रश्नगत परिप्रेक्ष्य में यह निर्देश दिये गये थे कि निर्धारित प्रारूप पर समस्त जनपद वांछित सूचना तत्काल अभिकरण को उपलब्ध करायें, परन्तु अधिकांश जनपदों द्वारा अपेक्षित सूचना प्रेषित नहीं की गयी। परियोजना अधिकारियों को अवगत कराया गया कि विगत दिनों अभिकरण मुख्यालय पर उक्त योजना के सम्बन्ध में अद्यतन प्रगति की जानकारी प्राप्त किये जाने हेतु भारत सरकार को संबंधित मंत्रालय के विशेषज्ञ प्रतिनिधि द्वारा इस तथ्य की ओर इंगित किया गया कि पूर्व में प्रश्नगत सर्वेक्षण कार्य के रामबन्ध में अभिकरण एवं शासन स्तर से भारत सरकार से प्राप्त जनपदों से प्रेषित की गयी USHA की गाइडलाइन एवं अभिकरण मुख्यालय स्तर से स्लम सर्वे प्रोफाइल एवं हाउस होल्ड पावर्टी सर्वे प्रोफाइल तथा लाइबलीहुड सर्वे प्रोफाइल के मुद्रित प्रारूप उपलब्ध कराये जाने के बावजूद अपट्रॉन द्वारा ऑनलाइन डेटाफिलिंग के अवलोकन पर जनपद स्तर से स्लम प्रोफाइल रामबन्धी विवरण प्रदर्शित नहीं है। इस संबंध में जनपदों को अवगत कराया गया कि आवास एवं शहरी उपशमन मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट www.mhupu.gov.in राहित सूडा की वेबसाइट www.sudaup.org पर नवीनतम सूचनायें शीर्षक के अंतर्गत USHA की गाइडलाइन एवं तीनों फार्मेट उपलब्ध हैं। निदेशक महोदय द्वारा हस्ताक्षरित नवीनतम निर्देश पत्र भी निर्गत किया गया। यह निर्देशित किया गया कि प्रत्येक दशा में स्लम प्रोफाइल प्रारूप को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर 15 दिनों के अन्दर सर्वे करा कर प्रविष्ट कराया जाना सुनिश्चित करें। समयबद्ध अनुपालन न किये जाने

की स्थिति में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कड़ी प्रशासनिक कार्यवाही की जाये। जिन जनपदों में पूर्व में सर्वेक्षित डाटा प्रारूप पत्र रखे रह गये हैं उन्हें आनलाइन डेटा फीडिंग हेतु हस्तगत करा दिया जाय। जिन जनपदों में सर्वेक्षण कार्य कराया ही नहीं गया है वे तीनों प्रारूपों पर सर्वेक्षण सम्पन्न कराकर डाटा प्रारूप पत्र आनलाइन डेटा फीडिंग हेतु अपट्रान के प्रतिनिधि को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

- स्लम सर्वे मद में जनपदों धनराशि उपलब्ध करायी गयी थी एवं निर्देशित किया गया था कि तत्काल कार्य पूर्ण कर इसके उपयोगिता प्रमाण पत्र सूडा को उपलब्ध करायें। इस मद में अभी भी कठिपय जनपदों से उपयोगिता प्रमाण पत्र अवशेष है जो कि खेदजनक है। जनपदों को पुनः निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह के अन्दर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें।

(कार्यवाही—सम्बन्धित डूड़ा)

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन०य०एल०एम०)

- जनपदों के परियोजना अधिकारियों को पुनः निर्देशित किया गया कि शासनादेश संख्या—779/69—1—14—14(104)/2013 दिनांक 23.05.2014 द्वारा शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना (एस०य०एच०) के अंतर्गत शहर स्तर पर कार्यकारी समिति का गठन किया गया है, जो सृजित होने वाली सुविधाओं के नियोजन, कियान्वयन एवं प्रबन्धन के लिए उत्तदायी हैं की बैठक शासनादेश के अनुसार तत्काल आहूत कुरा कर इसका कार्यवृत्त कार्यालय को शीर्ष प्राथमिकता पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। सूडा के संबंधित पटल को निर्देशित किया गया कि आगामी एक सप्ताह के अंतर्गत यदि संबंधित सी०एम०एम०य० द्वारा कार्यकारी समिति की बैठक कर इसका कार्यवृत्त सूडा की ई-मेल आई०डी० पर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो ऐसे शहरों के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तुत की जाय।
- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उप घटक शहरी बेघरों के लिए जिन शहरों से निःशुल्क भूमि अप्राप्त है उनको शीघ्र ही भूमि उपलब्धता सुनिश्चित कर्त्ता हुए ढी०पी०आर० तैयार करने के पुनः निर्देश दिये गये। इस संबंध में निर्देश दिये गये की जिन जनपदों की सर्वेक्षण रिपोर्ट 15.05.2015 तक नहीं प्राप्त होती है उनके विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।
- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उप घटक शहरी बेघरों के लिए आश्रय की योजना (Scheme of Shelter for Urban Homeless (SUH)) के अंतर्गत जनपदों को अवगत कराया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका (सिविल) संख्या—55/2003 संलग्न रिट याचिका (सिविल) संख्या—572/2003, ई०आर० कुमार व अन्य बनाम भारत सरकार व अन्य विचाराधीन है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकरण की सधन मानीटरिंग की जा रही है तथा रामय—समय पर आदेश दिये जा रहे हैं। रिट याचिका (सिविल) संख्या—572/2003 के संदर्भ में स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन०य०एल०एम०) के अंतर्गत शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना के अंतर्गत आश्रय उपलब्ध कराये जाने का उल्लेख किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुये तत्काल पर्याप्त संख्या में आश्रय के निर्माण के लिए निर्देश दिये गये हैं, जिसके दृष्टिगत यह आवश्यक है कि शहरी बेघरों के लिए आश्रय निर्माण के प्रस्ताव (ढी०पी०आर०) एन०य०एल०एम के अंतर्गत सभी चयनित शहरी निकायों से शहरी बेघरों के लिए आश्रय के प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु उक्त आदेश का अनुपालन शीघ्र सुनिश्चित किये जाने के निर्देश पुनः दिये गये। जिन शहरों में अभी तक आश्रय हेतु भूमि की उपलब्धता नहीं हो पायी है वहां विभिन्न सरकारी विभागों यथा—स्वास्थ्य, परिवहन एवं अन्य विभागों को सम्पर्क/समन्वय कर भूमि/भवन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि 05 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर प्राथमिकता के आधार पर भूमि/भवन की उपलब्धता स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित करते हुये तत्काल प्रस्ताव उपलब्ध करायें।

- कार्यदायी संस्था के उपरिथित प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि तत्काल समर्त स्वीकृत परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें तथा इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाय। स्वीकृत परियोजनाओं पर निर्धारित रामय-रीमा में वर्तमान शीत ऋतु से पूर्व प्रत्येक दशा में निर्माण कार्य पूर्ण करने का प्रयास किया जाय।
- शहरी बेघरों की स्वीकृत परियोजनाओं के संबंध में समर्त परियोजना अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि जारी कार्यवृत्त में स्वीकृति के समय लगायी गयी शर्तों को अनुपालन तत्काल सुनिश्चित किया जाय।
- शहरी बेघरों की स्वीकृत परियोजनाओं के संबंध में निर्देशित किया गया कि स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि तत्काल कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जाय तथा एमोओयू० की कार्यवाही पूर्ण कर तो जी रो गुणवत्तापरक निर्माण कार्य कराया जाय। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाय अन्यथा निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- शहरी बेघरों के सर्वेक्षण हेतु समरत चयनित शहरों को सर्वेक्षण का प्रारूप प्रेषित कर इसकी सूचना सूडा को शीघ्र बरीयता पर उपलब्ध कराये जाने हेतु पूर्व बैठक में निर्देशित किया गया था किन्तु कतिपय शहरों को छोड़कर अभी तक निर्धारित प्रारूप पर सर्वेक्षण की सूचना सूडा को उपलब्ध नहीं करायी गयी है। इस पर खेद व्यक्त करते हुए समर्त चयनित शहरों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक दशा में 30 अप्रैल, 2015 से पूर्व सूचना प्रेषित कर दी जाय अन्यथा संबंधित पटल सूचना न प्रेषित करने वाले शहरों के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तुत की जाय। संबंधित शहरों को यह भी अवगत कराया गया कि मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में शपथ-पत्र दाखिल किया जाना है, अतः जिस शहर द्वारा 30 अप्रैल, 2015 के पूर्व निर्धारित प्रारूप पर सही सूचना सूडा को उपलब्ध नहीं करायी गयी, ऐसे शहरों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। परियोजना अधिकारी एवं शहर परियोजना परियोजना अधिकारी को निर्देश है कि सूचना प्रेषण के उपरान्त सूडा से इसकी प्राप्ति की सूचना भी सुनिश्चित करें।
- कार्यदायी संस्था एवं उपस्थित परियोजना अधिकारियों एवं शहर परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जिन परियोजना का प्रस्ताव स्वीकृत किया जा चुका है वे तत्काल कार्यवाही कर प्रगति लाना सुनिश्चित किया जाये तथा इसकी प्रगति से भी इस कार्यालय को पाक्षिक अवगत कराया जाये। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता न की जाये।

(कार्यवाही-सूडा/संबंधित दूडा/कार्यदायी संस्था)

- शहरी पथ विकेतोओं को सहायता (Support to Urban Street Vendor(SUSV)) के संबंध में अवगत कराया गया कि सूडा द्वारा नगर निगम वाले शहरों में सर्वेक्षण की कार्यवाही की जायेगी एवं शेष कार्यवाही स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० द्वारा की जायेगी।

(कार्यवाही-सूडा/संबंधित दूडा/स्थानीय निकाय निदेशालय)

- अभिनव एवं विशेष परियोजनायें (Innovative & Special Projects) के अंतर्गत जनपदों द्वारा अभी तक परियोजना न प्रेषित करने पर असांतोष व्यक्त करते हुए निर्देशित किया गया कि आगामी 15 दिन के अन्दर परियोजना भेजना सुनिश्चित करें। जनपद उन्नाव के परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना लगभग अंतिम चरण में है जिसे शीघ्र ही सूडा मुख्यालय को उपलब्ध करा दिया जायेगा।
- स्वरोजगार कार्यक्रम (SEP) के अंतर्गत जनपदों को निर्देशित किया गया कि वित्तीय वर्ष 2014–15 का समाप्त हो चुका है एवं एन०य०एल०एम० के इस उपघटक की प्रगति संतोषजनक नहीं है। समर्त संबंधित शहरों को निर्देशित किया गया कि तत्काल बैंकों को

लक्ष्य के सापेक्ष आवेदन पत्र प्रेषित कर स्वीकृत/वितरित कराना सुनिश्चित किया जाय। समीक्षा में समूहों ऋण की प्रगति अत्यन्त असंतोषजनक पायी गयी। सभी संबंधित शहरों को निर्देशित किया गया कि समूहों ऋण पर भी विशेष ध्यान दिया जाय एवं अपेक्षित प्रगति लाना सुनिश्चित किया जाय।

- समस्त परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि रवरोजगार कार्यक्रम (SEP) के अन्तर्गत बैंकों को प्रेषित किये जाने वाले आवेदन पत्रों का विवरण बैंकवार प्रत्येक माह की 05 तारीख तक ई-मेल के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- जनपदों को पुनः निर्देशित किया गया कि ऐसे जनपद जिन्होंने कौशल रिक्तता (Skill Gap) की सूचना अभी सूड़ों को उपलब्ध नहीं करायी, वे एक राष्ट्रीय के अन्दर सूचना सूड़ा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यह सूचना nsdcindia.org की वेबसाइट पर भी जनपदवार उपलब्ध है। उक्त का संज्ञान लिया जाये।
- परियोजना निदेशक, सूड़ा को निर्देशित किया गया कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत 05 अत्यन्त असंतोषजनक शहरों के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तुत करें।
- जिन शहरों हेतु सी0एल0सी0 स्वीकृत कर धनराशि सूड़ा द्वारा अवमुक्त की जा चुकी है, उन शहरों को निर्देश दिये गये कि वे तत्काल सी0एल0री0 का विधिवत शुभारम्भ कराते हुये निर्धारित प्रारूप पर विस्तृत आख्या तत्काल उपलब्ध करायें।
- एन0यू0एल0एम0 के अंतर्गत समस्त चयनित शहरों को निर्देशित किया गया कि जिन शहरों के शहर मिशन प्रबन्धन इकाई द्वारा अभी तक बैंक में खाता नहीं खोला गया है तत्काल ऐसे शहर बैंक में खाता खुलवा कर सूड़ा के लेखा पटल को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही—समस्त दूड़ा)

आई0एल0सी0एस0

- योजनान्तर्गत जिन जनपदों ने धनराशि वसूल करने हेतु वसूली प्रमाण पत्र नहीं जारी किया है, तत्काल आंकलन कराकर आर0सी0 जारी कराना सुनिश्चित करें तथा इस संबंध में जनपद बरेली, गौतमबुद्धनगर एवं झांसी जनपदों को एफ0आई0आर0 दर्ज कराने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही हेतु अनुश्रवण करने के निर्देश भी दिये गये। जनपद कासगंज के परियोजना अधिकारी अवगत कराया गया कि जिन संस्थाओं के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज थी, गें से कतिपय संस्थाओं के संबंध में अंतिम रिपोर्ट लगा दी गयी है। परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया गया कि इस संबंध में पूर्ण विवरण इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

(कार्यवाही—संबंधित सूड़ा/दूड़ा)

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना

- स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत जिन जनपदों के पास धनराशि अवशेष है तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भी लंबित है, के संबंध में पूर्व की बैठकों में भी तत्काल मुख्यालय आकर मिलान करने हेतु निर्देशित किया जाता रहा है। किन्तु समीक्षा में पाया गया कि कतिपय जनपदों में योजनान्तर्गत या तो धनराशि अवशेष है या उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित है। ऐसे रामरत जनपदों को निर्देशित किया गया कि वे प्रत्येक दशा में यू0सी0 / अवशेष धनराशि का मिलान मुख्यालय पर 25.04.2015 तक करा लें।
- स्वर्ण जयन्ती शहरी योजना के उपघटक कौशल प्रशिक्षण (स्टेप-अप) के अन्तर्गत जैसे कि पूर्व में समस्त जनपदों को निर्देशित किया जाता रहा है कि कुल प्रशिक्षित लाभार्थियों के सापेक्ष 70 प्रतिशत लाभार्थियों का प्लेसमेन्ट किया जाना आवश्यक है। समीक्षा में जनपद आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, अमरोहा, औरेया, आजमगढ़, बदायू, बागपत, बरेली, भदोही, बिजनौर, चन्दौली, एटा, इटावा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद,

गौतमबद्ध नगर, गाजीपुर, गोरखपुर, हापुड़, हरदोई, जालौन, जौनपुर, कन्नौज, कौशाम्बी, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, गुजफरनगर, पीलीगीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, शाहजहांपुर, शामली, सीतापुर, सोनमढ़, सुल्तानपुर, उन्नाव एवं वाराणसी में 70 प्रतिशत से कम प्रशिक्षणार्थीयों का प्लेसमेन्ट हुआ है। सभी संबंधित जनपदों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक दशा में 70 प्रतिशत प्लेसमेन्ट के लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित की जाय एवं आगामी बैठक में इसका विवरण भी साथ लेकर आयें।

- समस्त परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्रशिक्षित लाभार्थीयों का पूर्ण विवरण सूडा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु हार्ड एवं राप्ट कॉपी के रूप में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
- जनपदों को निर्देशित किया गया कि रवर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के उपघटक कौशल प्रशिक्षण (स्टेप-अप) के अन्तर्गत सभी जनपदों को संस्थाओं द्वारा निर्धारित प्लेसमेन्ट सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये तथा जनपद शाहजहांपुर में प्रशिक्षण के अंतर्गत कई माह से सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया जा रहा है। परियोजना अधिकारी शाहजहांपुर द्वारा अवगत कराया गया कि संस्था जिसने प्रशिक्षण का कार्य कराया है, के द्वारा अभी तक प्लेसमेन्ट की कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है। संस्था के विरुद्ध परियोजना अधिकारी द्वारा अभी तक कार्यवाही न किये जाने पर रोष व्यक्त किया गया एवं परियोजना अधिकारी को पुनः निर्देशित किया गया कि संबंधित संस्था के विरुद्ध 10 दिन के अन्दर कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही से सूडा को अवगत कराना सुनिश्चित करें। सूडा के संबंधित पटल को निर्देशित किया गया कि यदि परियोजना अधिकारी द्वारा निर्धारित समय—सीमा में संरक्षा के विरुद्ध कार्यवाही कर सूडा को अवगत नहीं कराया जाता है तो परियोजना अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(कार्यवाही—सूडा / संबंधित छूडा)

शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों व अन्य मलिन बस्तियों में इण्टरलॉकिंग, नाली, जल निकासी एवं अन्य सामान्य सुविधा योजना

- योजना की समीक्षा करने पर तथ्य संज्ञान में आया कि कतिपय जनपदों द्वारा अभी भी कई रवीकृत परियोजनाओं में कार्य प्रारम्भ नहीं कराया गया है यद्यपि जनपदों को धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। जनपदों को निर्देशित किया गया कि तत्काल कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जाय।
- सभी संबंधित जनपदों को निर्देशित किया गया कि कार्यों में उच्च गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाय साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि प्रस्ताव प्रेषण से पूर्व कहाँ से कहाँ तक कार्य कराया जाना, का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
- उक्त योजना के अंतर्गत जनपदों को निर्देशित किया गया कि समय—समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यों में उच्च गुणवत्ता रखी जाय। निर्माण कार्य का टारक फोर्स रो जांच करायी जाये किसी भी प्रकार की शिकायत आने पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। यह भी निर्देशित किया गया कि समरत जनपद कार्य प्रारम्भ कराने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि कार्य कराये जाने वाले रथल पर पहले से किसी भी विभाग द्वारा कार्य न कराया गया हो और न ही भुगतान किया गया हो। इस संबंध में समस्त संबंधित विभागों से प्रमाण—पत्र भी ले लिया जाय। छूडा की शासी निकाय से इसका अनुगोदन भी प्राप्त करना आवश्यक है।
- समस्त जनपदों को यह भी निर्देशित किया गया कि रथल की कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वहाँ की स्थिति का फोटोग्राफ तथा कार्य समाप्ति के उपरान्त फोटोग्राफ संबंधित परियोजना की पत्रावली में संरक्षित की जाय।

(कार्यवाही—संबंधित छूडा)

कांशीराम शहरी दलित बाहुल्य बस्ती

➤ उक्त योजना के अंतर्गत समस्त जनपदों को निरन्तर निर्देशित किया गया है कि उपलब्ध करायी गयी धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि/उपयोगिता प्रमाण पत्र तत्काल सूडा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जनपद –लखनऊ व वाराणसी के परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि योजना के अंतर्गत अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र कतिपय कारणों के कारण प्रेषित नहीं किये जा पा रहे हैं। संबंधित परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि कराये जाने वाले कार्यों का विवरण कारण सहित कार्यदायी संस्था के साथ मुख्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही संबंधित दूड़ा)

एस०सी०एस०पी०

- एस०सी०एस०पी० योजनान्तर्गत वर्ष 2012–13 या उससे पूर्व में अवमुक्त धनराशि के अगी भी कई जनपदों के उपयोगिता प्रमाण पत्र अवशेष हैं, जब कि समस्त संबंधित जनपदों को निर्देशित किया जा चुका है कि तत्काल उपयोगिता प्रमाण पत्र/धनराशि सूडा को उपलब्ध करायें। इस संबंध में संबंधित जनपदों को निर्देशित किया कि एक सप्ताह के अन्दर धनराशि सूडा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही—सूडा / संबंधित दूड़ा)

बैलेन्स शीट

- वर्ष 2013–14 की बैलेन्स शीट जनपद शामली, आवस्ती, औरैया, चन्दौली, गोण्डा, ललितपुर एवं मेरठ द्वारा जिलाधिकारी से हस्ताक्षर कराकर अभी उपलब्ध नहीं करायी गयी है ऐसे समस्त जनपदों को निर्देशित किया कि प्रत्येक दशा में एक सप्ताह के अन्दर जिलाधिकारी/अध्यक्ष, दूड़ा से हस्ताक्षर कराकर बैलेन्स शीट सूडा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायें।

(कार्यवाही—संबंधित दूड़ा)

उक्त के अतिरिक्त बैठक में निम्नलिखित निर्देश भी दिये गये –

- समस्त जनपदों के परियोजना अधिकारी/सहाय परियोजना अधिकारी को यह भी निर्देशित किया गया कि योजना के अन्तर्गत निर्मित होने वाले आवासों एवं अवस्थापना कार्यों की गुणवत्ता व आवास आवंटन के संबंध में प्रत्येक माह परियोजना स्थल का निरीक्षण किया जाये व इसकी निरीक्षण आख्या प्रत्येक माह की 07 तारीख तक ई–मेल के माध्यम से सूडा को प्रेषित की जाए।
- समस्त जनपदों के अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्था का निर्देशित किया गया कि कार्यों में उच्च गुणवत्ता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाय। गुणवत्ता यदि खराब पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था उत्तरदायी होंगे।
- कार्यदायी संस्था को यह भी निर्देशित किया गया कि डी०पी०आर० में यह सुनिश्चित किया जाये कि जो कार्य योजनान्तर्गत लिये जायें वह किसी अन्य योजना के अन्तर्गत न लिये गये हों।
- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत चयनित शहरों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक शहर मिशन प्रबन्धन इकाई (सी०एम०एम०य०) अपनी ई–मेल आई०डी० तत्काल बनालें। उदाहरण के तौर पर आगरा शहर हेतु (agra_cmmu@gmail.com)।
- समस्त जनपदों को निर्देशित किया जाता रहा है कि बैठक के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या 15 दिन के अन्दर प्रत्येक दशा में सूडा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया

जाय, किन्तु कतिपय जनपदों को छोड़कर इसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। कड़े निर्देश दिये गये कि कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या प्रत्येक दशा में 15 दिन के अन्दर सूडा को उपलब्ध करायी जाय।

➤ समस्त जनपदों को निर्देशित किया गया कि सूडा द्वारा समय-समय पर निर्गत होने वाले आदेश व मांगी जानी वाली सूचना सूडा की वेबसाइट www.sudaup.org पर उपलब्ध रहती है। अतः सूडा की वेबसाइट प्रति दिन देखें व वांछित सूचना समय से भेजें। यह भी निर्देशित किया गया कि कम्प्यूटर का ज्ञान निरांत आवश्यक है। अतः सभी अधिकारी व कर्मचारी कम्प्यूटर सीखें ताकि सूचना के आदान प्रदान में सुगमता रहेगी। सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का समय-समय पर टेस्ट लिया जायेगा। अतः कम्प्यूटर का ज्ञान होना सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाही-समस्त सूडा)



(रतन कुमार सिंह)
निदेशक


राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उत्तर प्रदेश

पत्रांक— 238 / 110 / तीन / 97 Vol-VII

दिनांक— 24/4/15

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु —

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
3. निदेशक कैम्प/अपर निदेशक कैम्प/संयुक्त निदेशक कैम्प/वित्त नियंत्रक कैम्प, सूडा।
4. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
5. निदेशक, सी एण्ड डी0एस0, जल निगम, उ0प्र0।
6. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0पी0सी0एल, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0आर0एन0एन0, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एस0के0एन0एन, लखनऊ।
9. सूडा के समस्त अधिकारीगण व समस्त पटलप्रगारी को अनुपालनार्थ।
10. समस्त रिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर, एन0यू0एल0एम0 शहर।
11. समस्त अधिकारी/अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, एन0यू0एल0एम0 शहर।
12. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
13. श्री योगेश आदित्य, सहा0परि0अधि0/वेब मार्टर, सूडा को सूडा की वेबसाइट www.sudaup.org पर अपलोड करने हेतु।



(रतन कुमार सिंह)
निदेशक